## प्रेसनोट दिनांक 12.02.2025

## नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, विरष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बकेवर पुलिस द्वारा गयी कार्यवाही। **घटना का संक्षिप्त विवरण:**-

दिनांक 12.02.2025 को थाना बकेवर पर वादी की तहरीर पर दिनांक 11.02.2025 को समय करीब 21.30 बजे अंकुर पुत्र विनोद सक्सेना द्वारा देवराज मैरिज होम, बकेवर के गेट के बाहर वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के संबंध मे मु030सं0.35/2025 धारा 65(2) बीएनएस,धारा 5i/5m/6 लैंगिक आपराधों से बालकों का संरक्षण अध0 व 3(2)(v) SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विरष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 12.02.2025 को थाना बकेवर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अंकुर पुत्र विनोद सक्सेना को पूर्वी बाईपास पर इटावा से औरेया जाने वाली सडक से समय 12.43 बजे गिरफ्तार किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.अंकुर पुत्र विनोद सक्सेना निवासी ग्राम व्यासपुरा थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 22 वर्ष। <u>पंजीकृत अभियोग:</u>-
- $1. extrm{H}_0 extrm{35/2025}$  धारा 65(2) बीएनएस,धारा  $5 extrm{i}/5 extrm{m}/6$  लैंगिक आपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 व 3(2)(v) SC/ST एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा। पुलिस टीम- निरी0 श्री भूपेन्द्र सिंह राठी प्रभारी थाना बकेवर मय टीम।

पुलिस मीडिया सेल जनपद इटावा।